>

Title: Need to review the recent decision on Amarnath Yatra.

**योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर):** सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रति वर्ष व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक दो माह तक श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा चलती है। इसमें देश-विदेश से हिन्दू श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ की गुफा में भगवान के दर्शन करते हैं। इस वर्ष लगभग आठ से दस लाख श्रद्धालुओं के अमरनाथ जाने की संभावनाएं हैं। इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, 4 जून को है और श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन दो अगस्त को पड़ रही है। नियमतः यह यात्रा चार जून से दो अगस्त तक होनी चाहिए। लेकिन श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते जम्मू-कश्मीर के महामहिम राज्यपाल ने दो महीने की यात्रा की इस अवधि को घटाकर मात्र 39 दिन कर दिया है। 2009 से पहले यह यात्रा साठ दिनों की होती थी और इस संबंध में 2004 में जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश जस्टिस कोहली ने भी यह निर्णय दिया था कि यह यात्रा कम से कम साठ दिन होनी चाहिए। आखिर आठ से दस लाख श्रद्धालु मात्र 39 दिन में इस यात्रा को कैसे कवर कर पायेंगे, जबकि श्राइन बोर्ड एक दिन में मात्र दस हजार श्रद्धालुओं को बमुश्किल यात्रा कराने की सुविधा उपलब्ध करा पाता है। इसलिए जम्मू-कश्मीर की सरकार सीधे-सीधे हिन्दुओं की धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, उसके संवैधानिक अधिकार से उसे वंचित करके उसकी आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। जब हम अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो दो उसके लिए दो मार्ग हैं। प्रथम पहलगाम से चंदनबाड़ी, शेषनाग, पंचतरणी होते हुए 32 किलोमीटर का पैदल मार्ग जाता है और दूसरा मार्ग सोनमर्ग, बालटाल होते हुए है, जिसमें लगभग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है। जब मानसरोवर की यात्रा मई माह में प्रारम्भ हो सकती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 22 हजार फीट है। केदारनाथ की यात्रा अप्रैल माह में शुरू होकर छः माह तक चल सकती है तो फिर 13500 फीट की ऊंचाई पर स्थित श्रीअमरनाथ जी की पवित्र गुफा के दर्शन करने की अनुमति दो माह के लिए सरकार क्यों नहीं देती है, कहीं न कहीं सरकार के मन में एक खोट है। श्राइन बोर्ड की अकर्मण्यता है या फिर एक खोट है जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ कुठाराघात है। ऐसा नहीं है कि यात्रा पूर्व में जून में प्रारंभ न होती रही हो। लगातार सरकार अपनी मर्जी से तिथि तय करती है। हमारे यहां पर्व और त्योहारों की तिथि हिंदु धर्माचार्य करेगा, उसके मुहूर्त और लग्न तय करेगा। यह श्राइन बोर्ड का अधिकार नहीं है। श्राइन बोर्ड को यात्रा की सुरक्षा, यात्रा की व्यवस्था का अधिकार है। उसके मुहूर्त और लग्न हिंदू धर्माचार्य तय करेंगे और जब व्यास पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक तिथि तय है तो फिर इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप उचित नहीं है।

इससे पहले भी जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल के कारण सन् 2008 में श्राइन बोर्ड की जमीन को वापस करने के मुद्दे को ले कर के वहां के हिंदू श्रद्धालुओं को आक्रोशित किया गया था। लोगों में बड़ा आक्रोश था और वहां पर बड़ा तीव्र आंदोलन हुआ था। इससे पहले सन् 2009 में अलगावादियों ने भी इस बात को कहा था कि यात्रा के दिन कम किए जाएं। अगर आज यह शंका पैदा हो रही है कि राज्यपाल उन अलगावादियों के दबाव में काम कर रहे हैं, जो अनावश्यक नहीं, क्योंकि पूर्व में इस प्रकार का कार्य उनके द्वारा किया जा चुका है।

मैं, आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि यात्रा को यथावत रखा जाए। दूसरा, अमरनाथ श्राइन बोर्ड का पुनर्गठन किया जाए। इसमें सत्तर प्रतिशत कर्मचारी हिंदू धर्मावलंबी नहीं हैं। किसी भी धार्मिक बोर्ड में उस धर्म से जुड़े हुए अनुयायी, उस बोर्ड के मेंबर होते हैं। कोई अन्य मेंबर नहीं होता, जिनकी उस बोर्ड के प्रति आस्था न हो। लेकिन दुर्भाग्य से अमरनाथ श्राइन बोर्ड में इस प्रकार के सदस्य हैं। उसका पुनर्गठन कर के हिंदू धर्मावलंबियों और धर्माचार्यों को उसमें स्थान दिया जाए। दूसरा, पहलगांव और बालटाल में 15 से 20 हजार यात्रियों को रखने की व्यवस्था के लिए विश्रामालय की व्यवस्था की जाए क्योंकि अक्सर मौसम खराब होने के कारण यात्रियों को वहां पर रूकना पड़ता है और वहां पर विश्रामालय की सुविधा न होने के कारण या बुनियादी सुविधा न होने के कारण श्रद्धालुओं को समस्या होती है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि बालटाल और पहलगांव में यह सुविधा उपलब्ध कराने का कष्ट किया जाए।

MR. CHAIRMAN:

Shri Mahendrasinh P Chauhan,

Dr. Virendra Kumar and

Shri Rajendra Agrawal may be allowed to associate with the submissions made by Shri Yogi Aditiyanath.